रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244479
CG-DL-E-18032023-244479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1210]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
No. 1210]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2023

का.आ. 1259(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1453 (अ), दिनांकित 09 मई, 2017 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 340 के किमी 0/000 से किमी 60/025 (रायाचोटी से अंगल्लू खंड) तक रायाचोटी, कडापा तक के खंड को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-340 के किमी 0.000 से किमी 60.025 (मौजूदा चैनेज किमी 0.000 से किमी 60.380 पर) तक के दो लेन पेव्ड शोल्डर के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 56.10 कि.मी. और 14.00 किमी (1.40 किमी लम्बाई) की समकक्ष संरचना लम्बाई (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के कॉलम (2) मे उल्लेखित आधार दर के 60% पर और चार लेन खंड के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 2.525 कि.मी के लिए आधार दर के 100% दर पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार के यांत्रिक वाहनों पर फीस उदगृहीत करती है तथा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्-:

तालिका - 1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरा वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरा वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरा वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी -:

तालिका-2		
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है**	**दर, जिस पर फीस संदेय है ।**
आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में मुदीवीडू गांव के निकट डिजाइन चैनेज किमी 50.550 पर	**56.10 किमी** (>60 मीटर संरचना को छोड़कर)	दो लेन / पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	2.525 किमी	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों के 100%

2 .उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगाः

तालिका-3			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं* की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में मुदीवीडू गांव के निकट डिजाइन चैनेज किमी 50/550 पर	1.40	14.00	दो लेन / पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^ विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**(चेनेज)**	**बुनियादी ढांचा का प्रकार**	**लम्बाई (कि.मी.)**

	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	56.250	57.650	आरओबी	1.4

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2022-23 के लिए 315.00 रु. (तीन सौ पंद्रह रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	**अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा, तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 327.55 करोड़ रु. है। [भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. आरओ/वीजीए/जेबी:एनएच(ओ)/2016-17/656/ई-207137]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2023

S.O. 1259(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1453 (E) dated 09th May 2017 issued under Section 05 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0/000 to kilometer 60/025 (Rayachoty

to Angallu section) of National Highway No 340 from Rayachoty, Kadapa in the State of Andhra Pradesh to the State Government of Andhra Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 56.10 km and for equivalent structures length (having length more than 60m) of 14.00 km (having length of 1.40 km) for user of two lane with paved shoulders and at 100% of the base rate for net road section length of 2.525 Km for use of four lane on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of NH-340 from design kilometer 0.000 to kilometer 60.025 (existing chainage from Km 0.000 to Km 60.380) of National Highway number -340 in the State of Andhra Pradesh and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
Design chainage at **Km 50.550** near Mudiveedu Village in Annamayya District, Andhra Pradesh	**56.10 Km** (Excluding Structure>60.0m)	60% for two lane/ two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above
	2.525 Km	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 3

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable)**
Design chainage at Km 50/550 near Mudivedu Village in Annamayya District., Andhra Pradesh	1.40^	14.00	60% for two lane/ two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details are as under:

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	56.250	57.650	ROB	1.4

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 315.000 (Three Hundred and Fifteen Rupees only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 4

Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees **327.55 crores**. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RO/VJA/JB:NH(O)/2016-17/656/E-207137

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA